

# इजरायल की कब्जा करने वाली शक्ति के रूप में दायित्वों पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का निर्णय

18 दिसंबर 2024 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने प्रस्ताव 79/232 को अपनाया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से “कब्जे वाले फ़लस्तीनी क्षेत्र (OPT) में और इसके संबंध में संयुक्त राष्ट्र, अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों और तीसरे देशों की उपस्थिति और गतिविधियों के संबंध में इजरायल के दायित्वों” पर परामर्शी राय मांगी गई।

22 अक्टूबर 2025 को, ICJ ने अपनी परामर्शी राय जारी की, जिसमें इजरायल की कब्जा करने वाली शक्ति के रूप में दायित्वों और संयुक्त राष्ट्र, अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों और OPT में मानवीय और विकासात्मक गतिविधियों में शामिल तीसरे देशों के प्रति उसकी जिम्मेदारियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को संबोधित किया गया।

अदालत ने ICJ के क़ानून के अनुच्छेद 65 और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 96 के तहत अपनी न्यायिक क्षेत्राधिकार की पुष्टि की, यह पुष्टि करते हुए कि महासभा को इसका मार्गदर्शन मांगने का अधिकार था। इसने आपत्तियों को खारिज कर दिया कि अनुरोध राजनीतिक प्रकृति का था या दक्षिण अफ्रीका बनाम इजरायल (नरसंहार की रोकथाम और दंड के लिए सम्मेलन का अनुप्रयोग) मामले में लंबित मुद्दों के साथ ओवरलैप करता था। अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई “ठोस कारण” न पाते हुए, अदालत ने जोर दिया कि यह प्रश्न कानूनी प्रकृति का है और पूरी तरह से इसकी परामर्शी भूमिका के दायरे में आता है।

यह जोर देना महत्वपूर्ण है कि इस मामले में ICJ का जनादेश व्याख्यात्मक था, न कि जांचकर्ता। अदालत का कार्य इजरायल के वास्तविक आचरण को सत्यापित या निर्णय करना नहीं था, बल्कि इजरायल के कानूनी दायित्वों को कब्जा करने वाली शक्ति और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत स्पष्ट करना था। हालांकि अदालत को गाजा और वेस्ट बैंक में उल्लंघनों का दावा करने वाली संयुक्त राष्ट्र और मीडिया की कई रिपोर्टों की जानकारी थी, लेकिन उसने इन तथ्यों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन या निर्णय नहीं किया। इसलिए, यहां प्रस्तुत इजरायल की कार्रवाइयों और मानवीय परिस्थितियों के बारे में संदर्भात्मक जानकारी स्वयं परामर्शी राय से प्राप्त नहीं है, बल्कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और अच्छी तरह से प्रलेखित स्रोतों से है, जो अदालत के निष्कर्षों की प्रासंगिकता और गंभीरता को दर्शाने में मदद करते हैं।

## इजरायल एक कब्जा करने वाली शक्ति है

ICJ ने पुनः पुष्टि की कि इजरायल गाजा पट्टी और कब्जे वाले फ़लस्तीनी क्षेत्र के अन्य हिस्सों में 1907 के हेग नियमों के अनुच्छेद 42 और 1949 की चौथी जेनेवा संधि के अर्थ में कब्जा करने वाली शक्ति बना हुआ है, इसके बावजूद कि 2005 में तथाकथित “विमुक्ति” हुई थी। हालांकि उस समय इजरायल ने गाजा से अपनी स्थायी सैन्य उपस्थिति और बस्तियों को वापस ले लिया था, अदालत ने उल्लेख किया कि इजरायल सीमाओं, हवाई क्षेत्र, क्षेत्रीय जल, जनसंख्या रजिस्टर और आवश्यक बुनियादी ढांचे पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखता है, जिससे वह प्राधिकार का स्तर बनाए रखता है जो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कब्जे को परिभाषित करता है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रभावी नियंत्रण, न कि सैनिकों की भौतिक तैनाती, यह निर्धारित करता है कि कब्जा मौजूद है या नहीं। तदनुसार, इजरायल कब्जा करने वाली शक्ति के सभी कानूनी दायित्वों को वहन करता है, जिसमें नागरिकों की रक्षा करने, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने, और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और मानवाधिकार कानूनों के तहत कब्जे वाली जनसंख्या की संप्रभुता और अधिकारों का सम्मान करने का कर्तव्य शामिल है।

## नागरिक आबादी के कल्याण के प्रति दायित्व

**चौथी जेनेवा संधि के अनुच्छेद 55 और 56** के तहत, एक कब्जा करने वाली शक्ति की प्राथमिक और प्रत्यक्ष जिम्मेदारी अपने नियंत्रण में रहने वाली आबादी के लिए **खाद्य आपूर्ति, चिकित्सा देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य** सुनिश्चित करने की है। ये **गैर-शर्तबद्ध दायित्व** हैं, जिन्हें **कब्जा करने वाले के खर्च पर** पूरा किया जाना चाहिए।

केवल तभी जब कब्जा करने वाली शक्ति **वास्तव में असमर्थ** हो आबादी की जरूरतों को पूरा करने में, वह अन्य देशों या निष्पक्ष मानवीय संगठनों की सहायता कार्यवाहियों को स्वीकार और सुविधा प्रदान कर सकती है। फिर भी, **अनुच्छेद 59** इसे बाध्य करता है कि वह ऐसी कार्यवाहियों को **“स्वीकार और सुविधा प्रदान करे”** **“उसके पास उपलब्ध सभी साधनों के साथ”**। सहायता प्रयासों में कोई भी **रुकावट या प्रतिबंध** संधि के विपरीत है और, यदि यह अभाव या भुखमरी का कारण बनता है, तो यह अंतरराष्ट्रीय प्रथागत कानून के तहत **गंभीर उल्लंघन और युद्ध अपराध** हो सकता है।

अदालत की राय इन कर्तव्यों को अमूर्त कानूनी शब्दों में पहचानती है; यह **इजरायल के आचरण का मूल्यांकन** गाजा में नहीं करती। फिर भी, संयुक्त राष्ट्र और मानवीय संगठनों की व्यापक रिपोर्टों ने खाद्य, ईंधन और चिकित्सा आपूर्ति पर व्यापक प्रतिबंधों को प्रलेखित किया है — ऐसी परिस्थितियां जो ICJ द्वारा वर्णित कानूनी निषेधों से निकटता से मेल खाती हैं।

## भुखमरी और सामूहिक दंड की मनाही

ICJ ने पुनः पुष्टि की कि **युद्ध के तरीके के रूप में नागरिकों को भुखमरी करना पूर्ण रूप से निषिद्ध है, 1977 के प्रथम अतिरिक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 54, चौथी जेनेवा संधि के अनुच्छेद 55-59, और अंतरराष्ट्रीय मानवीय प्रथागत कानून के नियम 53** के तहत। यह निषेध किसी भी नीति या कार्रवाई पर लागू होता है जो नागरिक आबादी को उनकी जीविका के लिए आवश्यक वस्तुओं, जैसे कि भोजन, पानी, ईंधन और दवाइयों, से वंचित करता है।

हालांकि अदालत ने मैदान पर आचरण के साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया, लेकिन उसने स्पष्ट किया कि **सहायता में जानबूझकर बाधा डालना या आवश्यक आपूर्तियों में हेरफेर** अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत **गंभीर उल्लंघन और युद्ध अपराध** हो सकता है। **कानूनी मानक** इसलिए स्पष्ट है, भले ही अदालत ने इसे तथ्यात्मक परिस्थितियों पर स्वयं लागू नहीं किया।

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और मानवीय संगठनों की स्वतंत्र रिपोर्टें संकेत देती हैं कि गाजा पर लगाए गए प्रतिबंधों ने **तीव्र भुखमरी और चिकित्सा पतन** को जन्म दिया है। हालांकि इन विवरणों की जांच अदालत द्वारा नहीं की गई, वे **उस प्रकार की स्थिति को दर्शाते हैं जिसे ICJ का कानूनी तर्क सीधे संबोधित करता है** — ऐसी स्थिति जिसमें आवश्यक वस्तुओं की जानबूझकर वंचना, यदि जानबूझकर की गई हो, तो **युद्ध के तरीके के रूप में भुखमरी का उपयोग और सामूहिक दंड का एक रूप** होगा, जो **चौथी जेनेवा संधि के अनुच्छेद 33** के तहत निषिद्ध है।

अदालत ने यह भी पुनः पुष्टि की कि ऐसे निषेध **अनुल्लंघनीय** हैं। सशस्त्र संघर्ष या वैध सुरक्षा चिंताओं की स्थितियों में भी, **देश सुरक्षा तर्कों का हवाला देकर अंतरराष्ट्रीय कानून की अनिवार्य मानदंडों** जैसे कि भुखमरी, सामूहिक दंड और स्व-निर्णय के अधिकार की अस्वीकृति के उल्लंघन को उचित नहीं ठहरा सकते। ये दायित्व **पूर्ण और बाध्यकारी** हैं, सैन्य या राजनीतिक परिस्थितियों की परवाह किए बिना।

## संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में दायित्व

**संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश** के रूप में, इजरायल **संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(2) और 2(5)** के तहत **सद्भावना में सहयोग** करने और **संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसियों और कर्मियों की विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों** का सम्मान करने के लिए बाध्य है, जैसा कि **चार्टर के अनुच्छेद 105 और 1946 की संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति संधि** में उल्लिखित है। ये संरक्षण सशस्त्र संघर्ष और कब्जे के दौरान भी लागू रहते हैं।

ICJ ने पुनः पुष्टि की कि इजरायल को **संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों, संपत्ति और परिसरों का सम्मान और संरक्षण** करना होगा और **संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों की गतिविधियों को अनुमति देना और सुविधा प्रदान करना होगा**, विशेष रूप से उन लोगों को जो मानवीय सहायता में शामिल हैं, जैसे **UNRWA**। अदालत ने विशिष्ट घटनाओं के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, लेकिन जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में हस्तक्षेप या इसके कर्मियों पर हमले **अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन** होंगे।

संदर्भ के लिए, संयुक्त राष्ट्र के स्रोतों की रिपोर्ट है कि **अक्टूबर 2023 और 2025 के अंत के बीच, 190 से अधिक संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी** — लगभग सभी UNRWA से — **गाजा में इजरायली सैन्य अभियानों में मारे गए**, जो 1945 के बाद से **संयुक्त राष्ट्र कर्मियों के लिए सबसे अधिक हताहतों की संख्या** को चिह्नित करता है। संयुक्त राष्ट्र के परिसर और स्कूल, जिनके निर्देशांक इजरायली अधिकारियों को प्रदान किए गए थे, बार-बार निशाना बने। हालांकि ICJ ने इन तथ्यों का मूल्यांकन नहीं किया, इसकी राय उस कानूनी ढांचे को परिभाषित करती है जिसके भीतर ऐसी कार्रवाइयों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

## इजरायल को फ़लस्तीनी लोगों के स्व-निर्णय में बाधा नहीं डालनी चाहिए

**लोगों का स्व-निर्णय का अधिकार** अंतरराष्ट्रीय कानून की एक **अनिवार्य मानदंड (jus cogens)** और संयुक्त राष्ट्र चार्टर प्रणाली की आधारशिला है। यह **संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1(2) और 55, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि के अनुच्छेद 1** में परिलक्षित होता है, और इसे पूरी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रति एक **erga omnes दायित्व** के रूप में मान्यता दी गई है।

अपनी 2025 की परामर्शी राय में, अदालत ने माना कि इजरायल को **फ़लस्तीनी लोगों को इस अधिकार का उपयोग करने से नहीं रोकना चाहिए**, जिसमें **संयुक्त राष्ट्र या राज्यों के संचालन को बाधित करना** शामिल है जो उनकी भलाई और विकास को बढ़ावा देते हैं। अदालत ने पाया कि इजरायल के घरेलू कानून या प्रशासनिक नियंत्रण को OPT तक विस्तार देना **इन दायित्वों के साथ असंगत** है और फ़लस्तीनी स्व-शासन में बाधा डालता है।

ICJ ने अपनी **2024 की परामर्शी राय** का उल्लेख किया, जिसमें **वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों को अवैध घोषित** किया गया था और इजरायल से **विस्तार रोकने, मौजूदा बस्तियों को खाली करने और मुआवजा प्रदान करने** की मांग की गई थी। हालांकि 2025 की राय ने बाद के विकास की जांच नहीं की, सार्वजनिक रिकॉर्ड संकेत देते हैं कि इजरायल **बस्तियों का विस्तार जारी रखता है**, और राजनीतिक नेता **सार्वजनिक रूप से विलय की वकालत करते हैं**। ये अवलोकन, बाहरी रिपोर्टों से लिए गए, अदालत के पिछले निर्णयों के प्रकाश में फ़लस्तीनी स्व-निर्णय की निरंतर क्षरण को समझने के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं।

## निष्कर्ष

**अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की 2025 की परामर्शी राय** कब्जे वाले फ़लस्तीनी क्षेत्र में इजरायल की उपस्थिति को नियंत्रित करने वाले कानूनी दायित्वों की एक महत्वपूर्ण पुष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। इसने इजरायल के कब्जा करने वाली शक्ति, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश और अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था में भागीदार के रूप में कर्तव्यों को स्पष्ट किया, लेकिन उनका न्याय नहीं किया। अदालत की भूमिका **कानून को परिभाषित करना** थी, न कि **साक्ष्य का मूल्यांकन करना या दोषारोपण करना** — एक अंतर जो न्यायिक निष्पक्षता को बनाए रखता है और साथ ही अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की बाध्यकारी व्याख्या प्रदान करता है।

फिर भी, राय एक **स्पष्ट कानूनी ढांचा** प्रदान करती है जिसके भीतर अन्य सक्षम निकायों द्वारा इजरायल की कार्रवाइयों का मूल्यांकन किया जा सकता है। यह स्थापित करता है कि:

- इजरायल गाजा और वेस्ट बैंक में **कब्जा करने वाली शक्ति** बना हुआ है;
- यह नागरिकों की भलाई के लिए **प्राथमिक जिम्मेदारी** वहन करता है;
- इसे **संयुक्त राष्ट्र के संचालन का सम्मान** करना होगा और **मानवीय कर्मियों की रक्षा** करनी होगी;
- इसे **फ़लस्तीनी स्व-निर्णय में बाधा नहीं डालनी चाहिए**;
- इसे **ऐसी किसी भी आचरण से बचना होगा जो भुखमरी, सामूहिक दंड या विलय के समान हो**।

अदालत ने यह भी दोहराया कि **ये दायित्व पूर्ण और अनुल्लंघनीय हैं**। सुरक्षा विचार, चाहे कितने गंभीर हों, **कानूनी रूप से अनिवार्य मानदंडों को रद्द नहीं कर सकते**, जैसे कि भुखमरी, सामूहिक दंड और स्व-निर्णय की अस्वीकृति के निषेध।

ICJ के निष्कर्षों और गाजा और वेस्ट बैंक में परिस्थितियों के बारे में बढ़ते साक्ष्य के प्रकाश में, **संयुक्त राष्ट्र महासभा को अब अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अनुरोध करने पर विचार करना चाहिए** कि वह **इजरायल के आचरण का**

**मूल्यांकन 2024 के अंतरिम उपायों, 2024 की परामर्शी राय और 2025 की परामर्शी राय** के आधार पर करे। ऐसी पहल ध्यान को स्पष्टीकरण से **जवाबदेही** की ओर स्थानांतरित करेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि अनिवार्य मानदंडों के उल्लंघन की न्यायिक जांच हो।

इसके अलावा, महासभा इस जांच को **संयुक्त राष्ट्र के निकायों और सदस्य देशों के स्वयं के दायित्वों** को शामिल करने के लिए विस्तारित कर सकती है, यह मूल्यांकन करते हुए कि क्या उनकी कार्रवाइयां — या निष्क्रियता — संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा अपेक्षित सद्भावना और सहयोग के मानकों को पूरा करती हैं।

**ICJ की न्यायिक परंपरा** इस प्रकार न केवल कानून का एक कथन प्रदान करती है, बल्कि **इसके प्रवर्तन का मार्ग** भी प्रदान करती है। इन निर्णयों को बनाए रखना अंतरराष्ट्रीय कानून की अखंडता, संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और उन सार्वभौमिक सिद्धांतों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है जो दोनों पर आधारित हैं।